



वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
Western Coalfields Limited

(एक मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी) (A Miniratna Cat-I Company)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) (A Subsidiary of Coal India Limited)



राजभाषा विभाग

Department of Official Language

CIN-U10100MH1975GOI018626 Phone: 0712-2511383 (Extn.5684) email: rajbhasha.wcl@gmail.com website: www.westerncoal.in

पंजीकृत कार्यालय : कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001 Regd. Office: Coal Estate, Civil Lines, Nagpur (Maharashtra)-440001

संदर्भ संख्या :- वेकोलि/राजभाषा/11/2022/ 415

दिनांक : 02/02/2022

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वेकोलि
समस्त महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष, वेकोलि मुख्यालय
महाप्रबंधक, केन्द्रीय कर्मशाला, तडाली/ प्राचार्य, कामगार प्रशिक्षण केंद्र, वर्धा/
विभागाध्यक्ष, खान बचाव केंद्र, इंदौरा

विषय :- "डब्ल्यूसीएल की मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना" के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित ।

महोदय,


सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए खनन, तकनीकी, वित्त, रचनात्मक साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, प्रबंधन, कंपनी के व्यवसाय के विकास तथा ऐसे विषय पर जो कोयला उत्पादन के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने "डब्ल्यूसीएल की मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत 4 श्रेणी में कर्मियों को 25-25 हजार रुपये (प्रत्येक श्रेणी में) पुरस्कृत किया जाएगा।

"डब्ल्यूसीएल की मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना" की नियमावली एवं आवेदन का प्रोफार्मा (अनुलग्नक-1) संलग्न है। (कुल 4 पृष्ठ)

वर्ष 2021-22 के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि में प्रकाशित पुस्तक की प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रविष्टि उचित माध्यम से राजभाषा विभाग, वेकोलि मुख्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 15/04/2022 है। राजभाषा पखवाड़ा 2022 के समापन समारोह में चयनित लेखकों को पुरस्कृत किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि "डब्ल्यूसीएल की मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना" का आपके अधीनस्थ कार्यालय/विभाग/ईकाई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें।

भवदीय



(प्रभाकर देशपांडे)

महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं राजभाषा प्रमुख

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबंधक, प्रणाली विभाग, वेकोलि मुख्यालय, कृपया वेकोलि की वेबसाइट पर "डब्ल्यूसीएल की मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना" प्रमुखता से बैनर में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. महाप्रबंधक, जनसंपर्क विभाग, वेकोलि मुख्यालय, कृपया उक्त योजना के उचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करें।



वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001 फोन: 0712-2511383 (Extn.5684)

डब्ल्यूसीएल की मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना

1.0 शीर्षक:-

1.1 इस योजना को "डब्ल्यूसीएल की मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना" कहा जाएगा।

2.0 उद्देश्य:-

2.1 इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में डब्ल्यूसीएल मुख्यालय, सभी क्षेत्रों एवं केन्द्रीय कर्मशाला, तडाली में पदस्थ कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए खनन, तकनीकी, सौर ऊर्जा, वित्त, रचनात्मक साहित्य, पुस्तक की समीक्षा, अन्य भाषा में प्रकाशित पुस्तक का हिंदी अनुवाद, संस्कृति, पर्यावरण, प्रबंधन, कंपनी के व्यवसाय के विकास तथा ऐसे विषय पर जो कोयला उत्पादन के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है जिससे डब्ल्यूसीएल में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।

3.0 योजना की व्याप्ति:-

3.1 यह योजना डब्ल्यूसीएल मुख्यालय के सभी विभागों, क्षेत्रों एवं सीडब्ल्यूएस तडाली में पदस्थ सभी स्तर के नियमित एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों पर लागू होगी।

4.0 अवधि:-

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

5.0 पात्रता:-

- 5.1 डब्ल्यूसीएल के सभी क्षेत्रों, मुख्यालय, केन्द्रीय कर्मशाला तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थ सभी नियमित एवं डब्ल्यूसीएल से सेवानिवृत्त कार्मिक इस योजना में भाग ले सकते हैं।
- 5.2 योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए हिंदी में लिखी गई उन्हीं पुस्तकों को स्वीकार किया जाएगा जो लेखक की मौलिक रचना हो। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 5.3 संकलित, संपादक अथवा पूर्व वर्षों में प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 5.4 पुस्तक की विषय वस्तु खनन, तकनीकी, सौर ऊर्जा, वित्त, रचनात्मक साहित्य, पुस्तक की समीक्षा, अन्य भाषा में प्रकाशित पुस्तक का हिंदी अनुवाद, संस्कृति, पर्यावरण, प्रबंधन,

कंपनी के व्यवसाय के विकास तथा ऐसे विषय पर जो कोयला उत्पादन के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोयला क्षेत्र से संबंधित विषय पर लिखी गई पुस्तक को भी पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकेगा।

5.5 लेखक को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि यह पुस्तक उन की मौलिक रचना है और कॉपीराइट एक्ट 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

6.0 मूल्यांकन मापदंड :-

6.1 वर्ष के दौरान पुस्तक के लिए विचार करते हुए प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक पिछले वित्त वर्ष में प्रकाशित की गई होनी चाहिए।

6.2 एक वित्त वर्ष में किसी कार्मिक की केवल एक पुस्तक पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

6.3 योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक कार्मिकों को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख अथवा क्षेत्रीय महाप्रबंधक के माध्यम से राजभाषा विभाग मुख्यालय को भेजनी होगी। विभागाध्यक्ष अथवा क्षेत्रीय महाप्रबंधक अपनी प्रविष्टियां सीधे राजभाषा विभाग को भेज सकेंगे।

6.4 पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई होनी चाहिए तथा 100 से अधिक पृष्ठों की होनी चाहिए एक पृष्ठ में कम से कम मानक रूप से 200-250 शब्द होना चाहिए। शब्द सीमा काव्य पुस्तकों पर लागू नहीं होगी लेकिन पृष्ठों की संख्या 100 से अधिक होनी चाहिए।

6.5 पुस्तक एक से अधिक कार्मिकों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी होने की स्थिति में प्रोफार्मा पर सभी लेखक कार्मिकों का विवरण देना एवं उनके हस्ताक्षर होने अपेक्षित हैं।

7.0 पुरस्कार:

7.1 इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में मूल रूप से हिंदी में लिखी मौलिक पुस्तकों के लेखकों को निम्नवत चार श्रेणियों के अनुसार पुरस्कार दिए जाएंगे:

क्रम संख्या	पुस्तक की श्रेणी	पुरस्कार की राशि
1.	खनन, तकनीकी, सौर ऊर्जा एवं वित्त विषयों पर	25,000/-
2.	साहित्यिक (कविता, कहानी, उपन्यास, लघुकथा एवं साहित्यिक की अन्य विधाएं), सांस्कृतिक, पुस्तक की समीक्षा तथा अन्य भाषा में प्रकाशित पुस्तक का हिंदी अनुवाद	25,000/-
3.	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन	25,000/-
4.	कंपनी के व्यवसाय के विकास के संबंध में कोयला कंपनियों का भविष्य और अन्य विषय	25,000/-


- 7.2 उक्त पुरस्कार राशि का भुगतान राजभाषा विभाग, वेकोलि मुख्यालय के बजट में प्रावधानित राशि से किया जाएगा तथा पुरस्कार राशि कार्मिक के बैंक खाते में EFT के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- 7.3 पुरस्कृत पुस्तक की पांच प्रतियों का क्रय राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा तथा उन्हें वेकोलि मुख्यालय के 'दिनकर' पुस्तकालय में रखा जाएगा। इसके अलावा आवश्यक समझे जाने पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर अन्य कंपनियों/विभागों/ क्षेत्रों / सीडब्ल्यूएस, तडाती आदि में भी वितरित किया जा सकता है।
- 7.4 इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकाशित पुस्तकें, चाहे वह पुरस्कृत हो या नहीं, उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता को देखते हुए उनकी अपेक्षित प्रतियां खरीदने का निर्णय पृथक रूप से लिया जाएगा।

8.0 योजना का प्रावधान:-

- 8.1 इस योजना का संचालन वार्षिक आधार पर राजभाषा विभाग, वेकोलि मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।
- 8.2 उक्त योजना के तहत प्राप्त पुस्तकों के संबंध में पुरस्कार का निर्णय करने के लिए निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन से मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 03 अधिकारी होंगे। इस समिति में राजभाषा विभाग के प्रभारी अधिकारी तथा इस विषय से संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष मनोनीत राजभाषा प्रमुख होंगे तथा इसके सदस्य वे होंगे जो विधाओं से संबंधित जानकार होंगे। तथापि अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकन समिति गठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों के आधार पर समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित किया जाएगा। पुरस्कार के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा पुरस्कार राशि का भुगतान निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन के उपरांत EFT के माध्यम से सीधे संबंधित के बैंक खाते में किया जाएगा।

9.0 सामान्य;

- 9.1 डब्ल्यूसीएल मुख्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन/आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना में किसी अंश को समाप्त कर सकता है।
- 9.2 पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष राजभाषा पखवाड़े के प्रारंभ / समापन समारोह अथवा अन्य कंपनी स्तरीय आयोजित कार्यक्रमों में की जाएगी। उक्त समारोह में प्रमाण-पत्र आदि वितरित किए जाएंगे।


1/2/22


1/2

डब्ल्यूसीएल की मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना के लिए ब्यौरा

(1 अप्रैल..... से 31 मार्च तक)

1. आवेदक कार्मिक का नाम :
2. NEIS/EIS संख्या :
3. पदनाम :
4. विभाग का नाम :
5. मातृभाषा :

क्र.स	(वर्ष के लिए)	पुस्तक का नाम तथा पुस्तक लेखन संपन्न करने की तिथि	विषय सहित पुस्तक का संक्षिप्त विवरण	लेखक/लेखकों का नाम	नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर
1.					

// घोषणा //

1. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि संलग्न पुस्तक मेरी/हमारी मूल रचना है तथा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त रचना मेरे द्वारा एवं मेरे/ मेरी पति/पत्नी अथवा सहकर्मी द्वारा रचित है एवं मैंने/हमने किसी भी स्रोत से पूर्व प्रकाशित रचना की नकल या प्रयोग नहीं किया है। हम इस पुस्तक की विषय वस्तु के लिए स्वयं उत्तरदायी है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इससे पूर्व इस पुस्तक को किसी अन्य प्रतियोगिता/योजना में प्रस्तुत नहीं किया है।

2. मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उक्त पुस्तक मेरी/हमारी मौलिक रचना है और कॉपीराइट एक्ट (यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है ।

लेखक/लेखकों का हस्ताक्षर 1..... 2

लेखक/लेखकों का नाम: 1..... 2

स्थान:

दिनांक: